सदस्यता संख्या: FCS 622

kotak

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

कारपोरेट पहचान सं. L65110MH1985PLC038137
पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई–400051, शाखा कार्यालय: 1/11, प्रथम तल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
www.kotak.com

अचल संपत्तियों की ई–नीलामी सह बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा सर्व सामान्य और विशेष कर कर्जदार(ओं), जमानती(ओं) और/या बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि कर्जदार/ओं अर्थात **मैसर्स गोयल ज्वैलरी एंड मार्ट प्राईवेट लिमिटेड (कर्जदार) और 1. श्री सुशील गोयल, 2. श्री मनीष गोयल, 3. श्री निखिल गोयल, 4. श्रीमती राधा रानी गोयल, 5. श्रीमती मधु गोयल, 6. श्रीमती सुनीता गोयल (जमानतियों और/या बंधककर्ताओं)** से प्रत्याभूत ऋणदाता कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड को देय **दिनांक 26 जुलाई, 2017 को राशि रु. 21,03,38,840/– (रुपये इक्कीस करोड़ तीन लाख अड़तीस हजार आठ सौ चालीस मात्र)** को भुगतान/वसूली तक चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर अनुबंधित दर से भविष्य की ब्याज और अन्य प्रभारों सहित वसूली के लिए कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ("प्रत्याभूत ऋणदाता") को बंधक/प्रभारित अधोलिखित अचल संपत्ति(ओं) जिसका प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, **"जहाँ है, जो है", "जो है, जैसी है" और "जो भी है"** आधार पर **13 अगस्त, 2020** को ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री की जायेगी। नीलामी के लिए रखी अचल संपत्तियों की विवरण, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा और नीलामी समय–सूची निम्नवत् है:

बंधककर्ता/ओं का नाम	ई–नीलामी के लिए रखी अचल संपत्ति का विवरण	ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	ई–नीलामी की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (रु.)
श्रीमती राधा रानी गोयल और श्री सुशील कुमार गोयल	डब्ल्यूईए, नाईवाला के लेआउट प्लान में, गली नं. 63 व 64, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली स्थित वाणिज्यिक बिल्डिंग के समस्त भाग व खंड जिसमें बेसमेंट माप कवर्ड एरिया 1261.45 वर्ग फुट अर्थात 117.19 वर्ग मीटर (कारपेट एरिया 1174.91 वर्ग फुट अर्थात 109.16 वर्ग मीटर) + भूतल माप कवर्ड एरिया 1261.45 वर्ग फुट अर्थात 117.19 वर्ग मीटर (कारपेट एरिया 1174.91 वर्ग फुट अर्थात 109.16 वर्ग मीटर) + प्रथम तल माप कवर्ड एरिया 1046.00 वर्ग फुट अर्थात 97.16 वर्ग मीटर (कारपेट एरिया 920.82 वर्ग फुट अर्थात 85.55 वर्ग मीटर), स्टिल्ट पार्किंग एरिया जो कि पूरे भाग का आधा है और जो भूमि प्लॉट म्यूनिसिपल नं. 2203 से 2206 पर है और खसरा नं. 546 व 547 है, में बराबर अधिकार/शेयर, माप 389 वर्ग गज, के साथ सभी वर्तमान और भावी अधिकारों, हक, हित, भोगाधिकार, प्रिविलेज, फिटिंग्स, फिक्सर, कनैक्शनों सहित वर्तमान और भावी स्ट्रक्चर्स, कॉमन ड्राइववे, लिफ्ट(यदि हो), प्रवेश, रास्तों, सीढ़ियों में अविभाजित, वर्तमान व भावी विकास अधिकारों और इस पर दिए अन्य कॉमन सुविधाओं व सुख–साधनों सहित।	12 अगस्त, 2020 समय अप. 04:00 तक	13 अगस्त, 2020 समय पूर्वा. 11:00 से दोपहर 12:00 के बीच	रु. 20,70,00,000/– (रुपये बीस करोड़ सत्तर लाख मात्र) रु. 2,07,00,000/– (रुपये दो करोड़ सात लाख मात्र)

अधोहस्ताक्षरी अपने विवेक और संभावी खरीदारों से अनुरोध पर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से 05 अगस्त, 2020 को अप. 01:00 से अप. 02:00 के बीच उक्त संपत्ति निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें:

1. ई–नीलामी 13 अगस्त, 2020 को पूर्वा. 11 से अप. 12 तक प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तारों के साथ वेबसाइट के माध्यम से "ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक निविदाकरण" द्वारा आयोजित की जायेगी।
2. ई–नीलामी के विवरण के लिए इच्छुक निविदाकार मैसर्स ई–प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–II, ओरियंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, संपर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा– मोबाइल नं. [illegible], ई–मेल आईडी: delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net निशित झा–7982880393, हेल्पलाइन नं. 079-61200595/520/546, हेल्पलाइन ई–मेल आईडी– support@auctiontiger.net से संपर्क कर सकते हैं।
3. इच्छुक निविदाकार नीलामी विवरण और बिक्री के निबंधन व शर्तों के लिए बैंक की अधिकृत वेबसाइट– https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देख सकते हैं।
4. नीलामी बिक्री के विस्तृत निबंधन व शर्तों के लिए निविदाकारों को सलाह है कि पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net देखें और उक्त निबंधन व शर्तें निविदाकरण प्रक्रिया में भाग ले रहे निविदाकारों पर बाध्यकारी होंगे।
5. इच्छुक निविदाकार/ओं को सलाह है कि उन्हें निविदा और अन्य दस्तावेज अपलोड करने के लिए पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net से लॉगिन आईडी व पासवर्ड जनरेट करने होंगे।
6. निविदाकार/ओं के केवाईसी दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप में भरकर निविदा फॉर्म 12 अगस्त, 2020 समय अप. 4.00 बजे तक पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net पर केवल ऑनलाइन जमा/अपलोड करने होंगे और विधिवत भरे व हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज और निविदाकार/ओं के केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रतियाँ gs.pandey@kotak.com और batesh.thakur@kotak.com पर ईमेल द्वारा भेजी जाएं। निविदाकार ई–मेल में सब्जेक्ट "मैसर्स गोयल ज्वैलरी एंड मार्ट प्राईवेट लिमिटेड के खाते में संपत्ति खरीद हेतु" लिखें।
7. संभावी निविदाकार उपरोक्त संपर्क नंबरों से मैसर्स ई–प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाईगर) से लॉगिन आईडी व पासवर्ड जनरेशन और ऑनलाइन निविदाकरण प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) खाता नं. [illegible], कोटक महिन्द्रा बैंक लि., नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड [illegible] में आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण माध्यम से 12 अगस्त, 2020 समय अप. 04.00 बजे तक जमा की जाए। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गई भी निविदा सरसरी तौर पर अस्वीकार हो जायेगी। प्रस्तावित निविदाकार द्वारा जमा ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं होगी।
9. बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से बराबर और/या अधिक होना चाहिए और निविदा जमा करने वाले निविदाकार निविदाकरण प्रक्रिया के दौरान रु. 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ा सकेंगे।
10. ई–नीलामी कार्यवाही समाप्ति के अंतिम 5 मिनटों में कोई बोली किए जाने की अवस्था में समाप्ति समय स्वतः और तुरंत और 5 मिनट अवधि के लिए बढ़ जायेगा।
11. सफल निविदाकार को ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही समाप्ति पर तत्काल या ई–नीलामी के दिन की कार्यावधि अवधि समाप्त होने की अवस्था में अगले कार्य दिवस को उपर्युक्त निर्धारित मोड से उच्चतम बोली राशि की 25% राशि (पहले ही जमा ईएमडी को शामिल करते हुए) जमा करनी होगी। उच्चतम बोली राशि की शेष 75% राशि सफल निविदाकार को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि किए जाने की तारीख से 15 दिनों के अंदर या प्राधिकृत अधिकारी के विवेक और सरफासी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी किसी विस्तारित अवधि में जमा करनी होगी।
12. सफल नीलामी मूल्य और अन्य प्रासंगिक व्यय की वसूली के तहत उच्चतम निविदाकार के पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र जारी किए जाने तक संपत्ति पर उच्चतम निविदाकार का कोई अधिकार व हक नहीं होगा। बिक्री ई–नीलामी के निबंधन व शर्तों और प्रत्याभूत ऋणदाता की पुष्टि के तहत होगी।
13. यदि सफल निविदाकार समस्त बोली/नीलामी राशि जमा करने में असफल रहता है तो सफल निविदाकार द्वारा पहले जमा की गई राशि जब्त हो जायेगी और चूककर्ता निविदाकार का न तो संपत्ति पर और न ही जमा राशि पर कोई दावा होगा। प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति/ओं के नीलामी के संबंध में सरफासी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उसे उपलब्ध किसी या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
14. उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में समस्त बिक्री राशि की प्राप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा, इसके बाद बिक्री पूर्ण हो जायेगी और कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड किसी दावे पर विचार नहीं करेगा।
15. बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम में जारी किया जायेगा जिसमें निविदा जमा की गई है। निविदा में उल्लिखित व्यक्ति के अलावा बिक्री प्रमाणपत्र में अन्य किसी व्यक्ति(ओं) के नाम को शामिल/प्रतिस्थापित करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
16. असफल निविदा/ओं की ईएमडी राशि 10(दस) दिनों के अंदर और बिना किसी ब्याज के कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड द्वारा उनके खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
17. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण किसी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने या अधिसूचित ई–नीलामी बिक्री को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदाएँ जमा होने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगन/निरस्तीकरण की अवस्था में निविदाकारों द्वारा जमा ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी और निविदाएँ अस्वीकार होने की अवस्था में प्राधिकृत अधिकारी निजी ट्रीटी द्वारा संपत्ति की बिक्री हेतु किसी निविदाकार या अन्य पार्टियों से मोल–भाव कर सकता है।
18. यदि निविदाकार नीलामी के तहत 1 संपत्ति से अधिक के लिए बोली करने के इच्छुक है तो निविदाकारों को उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण कर प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक निविदाएँ जमा करनी होंगी।
19. यहाँ ऊपर दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता के पूर्ण ज्ञान में दिए गए हैं, किंतु इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, चूक व भूल के लिए प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता जवाबदेह नहीं होंगे।
20. माननीय डीआरटी–III, दिल्ली के समक्ष एस.ए. नं. 2017 का 388 की विचाराधीनता के अलावा अन्य कोई भार बैंक को ज्ञात नहीं है और आज की तारीख तक उक्त संपत्ति की नीलामी पर कोई स्टे नहीं है। नीलामी की जा रही संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य के किसी प्रभार, अधिकार, भार, या अन्य किसी बकाया के लिए प्राधिकृत अधिकारी या बैंक जिम्मेदार नहीं होंगे। इच्छुक निविदाकार को सलाह है कि सांविधिक देयताओं, संपत्ति कर अधिशेष, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भारों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लें।
21. पंजीकरण प्रभार, स्टाम्प ड्यूटी, करों आदि सहित सभी सांविधिक देय/अन्य देय खरीदार को स्वयं वहन करने होंगे।
22. मौजूदा नोटिस के तहत नीलामी–सह–बिक्री के लिए रखी संपत्ति के संबंध में हस्तांतरण प्रभारों/शुल्कों सहित सभी व्यय प्रभार जैसे नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी प्रभार, बिजली और पानी प्रभार और अन्य कोई देय या कर सफल निविदाकार/क्रेता को वहन करने होंगे।
23. सभी अन्य प्रासंगिक प्रभार (मौजूदा नीलामी के तहत संपत्ति के संरक्षण के लिए प्रतिभूति प्रभार या रख–रखाव प्रभार तक सीमित नहीं किंतु इन्हें शामिल करते हुए) बिक्री प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से उच्चतम निविदाकार को वहन करने होंगे, जो बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकरण से पूर्व बैंक को निपटान/प्रतिपूर्ति करने होंगे। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के विवेक भविष्य के लिए बिना कोई मिसाल स्थापित किए कोई न्यायसंगत व तर्कसंगत विलंब छूट के लिए विचारणीय होगा।
24. यदि बिक्री राशि रु. 50,00,000.00 और अधिक है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार बिक्री राशि पर टीडीएस लागू होगा। सफल निविदाकार/खरीदार कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में लागू टीडीएस कटौती करेगा और इसे आयकर विभाग में जमा करेगा और टीडीएस जमा का प्रमाणक चालान व फॉर्म 26क्यूबी/टीडीएस प्रमाणपत्र कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड को प्रस्तुत करेगा।
25. बिक्री यहाँ उल्लिखित निबंधन व शर्तों पर केवल "जहाँ है, जो है", "जो है, जैसी है" और "जो भी है" आधार पर होगी, हालांकि प्राधिकृत अधिकारी को किसी निबंधन व शर्तें को परिवर्तित या बदलने का विवेकाधिकार होगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित संपत्ति के लिए अपनी निविदा जमा करने से पूर्व भारों के संबंध में अपनी पूछताछ, संबंधित संपत्ति के संबंध में उप–पंजीयक कार्यालय और राजस्व अभिलेखों और नगर निगम अभिलेखों और अन्य किसी प्रशासनिक अभिलेखों में छानबीन कर लें और संपत्ति के प्रकार और ब्यौरे, स्थिति, ऋण भारों, अधिकारों, प्रभारों, सांविधिक देयों आदि के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लें। कृपया नोट करें कि बैंक/प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता नीलामी के तहत संपत्ति/ओं/परिसंपत्तियों की फिटनेस/हक के संबंध में कोई गारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बिक्री/नीलामी पूरी तरह से कोई वापसी नहीं आधार पर होगी।
26. यदि बैंक द्वारा वहन सभी लागतों, प्रभारों व व्यय सहित बैंक की बकाया राशि या इसके किसी भाग जो बैंक को स्वीकार्य हो, कर्जदार/ओं/ जमानती/ओं/बंधककर्ता/ओं द्वारा/उनकी ओर से बैंक को बिक्री के लिए निर्धारित तिथि तक या इससे पूर्व जमा करा दिया जाता है तो परिसंपत्ति की नीलामी/ बिक्री निरस्त हो जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण दिए किसी भी चरण में किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने यदि अस्वीकार्य पायी जाती है, या नीलामी को स्थगित/निरस्त/रोकने या नियमों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
27. निविदाकार ने बिक्री के निबंधन व शर्तों को पढ़ व समझ लिया है माना जायेगा और वह उक्त निबंधनों व शर्तों से बाध्य होगी।
28. निविदाकार उचित इंटरनेट कनैक्टीविटी, बिजली बैक अप आदि की समुचित व्यवस्था करें, ई–नीलामी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले किसी इंटरनेट कनैक्टीविटी, बिजली जाने, या तकनीकी कारण या कारणों/आकस्मिकताओं के लिए बैंक जवाबदेह नहीं होगा।
29. बिक्री के लिए संपत्ति/ओं के संबंध में किसी व्यक्ति के किसी दावे के लिए कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड या इसका कोई कर्मचारी जवाबदेह नहीं होगा।
30. यह सूचना बैंक की अधिकृत वेबसाइट www.kotak.com पर भी अपलोड की गई है और इच्छुक पार्टियाँ वहाँ भी इसे देख सकती हैं।
31. अधिक विवरण के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी श्री बतेश ठाकुर (मोबाइल नं. +91–9953690994) या बैंक अधिकारी श्री विनोद बहरानी (मोबाइल नं. +91–9810004107) और श्री विपुल दुबे (मोबाइल नं. +91–8377905113) को संपर्क करें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिनी बिक्री सूचना

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा अद्यतन ब्याज और प्रासंगिक व्ययों के साथ उपरोक्त राशि का इस सूचना की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के अंदर पूर्ण देयताओं को जमा करने और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा उपर्युक्त निबंधन व शर्तों के अनुसार "प्रत्याभूत परिसंपत्ति" (उपरोक्त) की बिक्री की जायेगी। अंग्रेजी और जनभाषा समाचार पत्र के बिक्री सूचना प्रकाशन में कोई विसंगति होने की अवस्था में अंग्रेजी समाचार पत्र मान्य होगा और इसे फाइनल प्रति माना जायेगा, इस प्रकार संदिग्धता समाप्त होगी।

स्थान: दिल्ली   दिनांक: 20.07.2020

प्राधिकृत अधिकारी, हिते कोटक महिन्द्रा बैंक लि.

विजनेस स्टैंडर्ड
24 जुलाई 2020

Scanned with CamScanner